



राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



234

क्रमांक:- एफ. 4(1)(8)/मअ/गोपनीय/2016/ 23606

जयपुर, दिनांक : 15/10/2020

आदेश

निदेशालय महिला अधिकारिता के अन्तर्गत पदस्थापित संरक्षण अधिकारी/सुपरवाइजर, महिला अधिकारिता के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन भरने के लिए निम्नानुसार चैनल निर्धारित किया जाता है:-

| पदनाम | प्रतिवेदक अधिकारी | समीक्षक अधिकारी | स्वीकारकर्ता अधिकारी |
|-------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| संरक्षण अधिकारी | उप निदेशक/ सहायक निदेशक (संबंधित जिला) | उप निदेशक (महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ), महिला अधिकारिता | आयुक्त/निदेशक, महिला अधिकारिता |
| सुपरवाइजर, महिला अधिकारिता | उप निदेशक/ सहायक निदेशक (संबंधित जिला) | अतिरिक्त निदेशक, म.अ. महिला अधिकारिता | आयुक्त/निदेशक, महिला अधिकारिता |

यह आदेश दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी है।

(2)

आयुक्त

महिला अधिकारिता

क्रमांक:- एफ. 4(1)(8)/मअ/गोपनीय/2016/ 23607-710

जयपुर, दिनांक : 15/10/2020

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
4. उप निदेशक (महिला संरक्षण प्रकोष्ठ/संस्थापन), महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
5. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जिला.....।
6. समस्त संरक्षण अधिकारी, महिला अधिकारिता, जिला.....।
7. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. समस्त सुपरवाइजर, महिला अधिकारिता, (संबंधित जिला कार्यालय के माध्यम से) जिला.....।
9. आदेश पत्रावली।

(2)

आयुक्त

महिला अधिकारिता